



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122021-231776
CG-DL-E-10122021-231776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690]
No. 690]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 2021/अग्रहायण 19, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 2021/AGRAHAYANA 19, 1943

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली , 8 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 849(अ).—भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई भारत सरकार के गृह मंत्रालय की दिनांक 12 नवंबर, 2021 की अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि . 793(अ) में हिन्दी पाठ को निम्नलिखित पढ़ा जाए :-

(i)	पृष्ठ संख्या 15 पर पैराग्राफ 6 के अंतर्गत शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव के अंतर्गत , (ख) (ii) की तीसरी पंक्ति में “3 वर्ष “ के स्थान पर “3 वर्ष का अनुभव ”
(ii)	पृष्ठ संख्या 16 पर पैराग्राफ 8 में “अनुसूची VI” के स्थान पर “अनुसूची VII”
(iii)	पृष्ठ संख्या 17 पर पैराग्राफ 8 में (क) अनिवार्य (I) शैक्षणिक अर्हताएं के अंतर्गत 8(ii) की दूसरी पंक्ति में “राज्य सरकार ने ” के स्थान पर “राज्य सरकार में”

[फा. सं. 1/1/2016-रा. भा. (सेवा)]

डॉ. मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव